



काम को लेकर रिश्वत लेने
एक पटवारी ने लीज रिन्यू के
अब भोपाल स्टेशन पर रेलवे
के लोकायुक्त की टीम ने

र पेट्री कांटेक्टर से रेलवे के
अधिकारी 6 हजार रुपए
अनावश्यक चालान करके
या। फरियादी सुखबीर सिंह
कर दी। शिकायत के बाद
भोपाल स्टेशन प्लेटफार्म 1
शैयल) के कार्यालय में
हजार रुपए की रिश्वत लेते
र के विद्वध कानूनी कार्रवाई

लवे G20

दिनांक 29.08.2023

जा

विव. लो०. शेड झॉसी द्वारा
ती है।

वेथ वेल्ड इन 30 किलो ग्रीस
शर अपटू 50 टाईम्स दा एयर
पीएसई (2-10 बार) एयर
पपी एयर कंसेप्शन: 230
र्म साइज: 30 किलो अलॉग
फॉर डिस्पेसनिंग एक्सजिट
डिजिटल ऑयल गियर ग्रीस
र 7500 पीएसई यूनिट ऑफ
यकूरेसी: +1-3% मेक गरोज
वन सम्पल दू बी अपरूप

थि - 29.08.2023

वरण IREPS वेबसाइट
1221/23 (D)

entralrailway @ CPRONCR

से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने
आरोपी अजय उर्फ अज्जू को 20 साल
के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही आरोपी पर विभिन्न
धाराओं में 10 हजार रुपए का जुर्माना
भी लगाया है। यह फैसला 14वे अपर
सत्र न्यायाधीश (विशेष
न्यायालय/पॉक्सो एक्ट) तृप्ती पाण्डेय
की अदालत ने सुनाया है। मामले में
शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक
अभियोजक टी.पी. गौतम एवं सरला
कहार द्वारा पैरवी की गई है। लोक
अभियोजक के अनुसार, घटना 21
सितंबर 2019 को कोलार थाना पुलिस
को सूचना मिली थी कि एक नाबालिक
लडकी जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है
को पेट दर्द की शिकायत लेकर
अस्पताल लाया गया था और थोड़ी देर
बाद नाबालिक द्वारा एक लडकी को
जन्म दिया गया है। बच्ची को उसके
उपचार के लिए माता-पिता लेकर आये

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना
1 फरवरी 2019 से 28/02/2019
फरवरी 2019 के बीच की है। वह
कक्षा आठवीं की छात्रा है। वह उसके
घर के पास में रहने वाली सहेली के
साथ पढ़ने और कम्प्यूटर सीखने के
लिए एक डॉक्टर दंपति के यहां जाती
थी। फरवरी 2019 में एक दिन जब
आंटी ट्यूशन पढ़ा रही थी, तभी कुछ
देर बाद डॉक्टर दंपति साथ बाहर चले
गए।

है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब
पीड़िता और परिजन से बात की तो पूरे
मामले का खुलासा हुआ। मामले में
पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर आरोपी को
गिरफ्तार किया गया। मामले में
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य,
तथ्यों, वस्तुओं, दस्तावेजों एवं तर्कों से
सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी
को उक्त सजा सुनाई है।



म.प्र. गृह निर्माण एवं अधीनसंरचना विकास मंडल
प्रक्षेत्र-1 गोमतिगा परिसर, जवाहर चौक, भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, रुसल्ली, बैरसिया रोड,
भोपाल में स्थित भवन क्रमांक सीनियर
एम.आई.जी. - 06 मण्डल द्वारा श्री शिव कुमार
शर्मा आत्मज स्व. श्री बी. पी. शर्मा के नाम पर
आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख
दिनांक 25/06/1996 को पंजीकृत है। श्री शिव
कुमार शर्मा आत्मज स्व. श्री बी. पी. शर्मा द्वारा
उक्त सम्पत्ति श्रीमती खान आबेदा सलीम पत्नी
श्री सलीम खान को विक्रय विलेख के माध्यम से
विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख
दिनांक 23/05/2023 को पंजीयन कार्यालय से
पंजीकृत है।

क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र संयुक्त
शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत
करते हुये उक्त सम्पत्ति श्रीमती खान आबेदा सलीम
पत्नी श्री सलीम खान के नाम से हस्तांतरित
करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त
दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के
हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति /
उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई
आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15
दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के
साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत
करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई
आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल
नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी

म.प्र. गृह नि. एवं अधी. वि. म. प्रक्षेत्र-1, भोपाल

Kilpest

किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- 7-सी, औद्योगिक क्षेत्र,
गोविन्दपुरा भोपाल- 462023

CIN:24211MP1972PLC001131

www.kilpest.com

सूचना

सेबी (सूचियन दायित्व तथा उद्घाटन
अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन
33 के साथ पठित विनियमन 47 के
अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया
जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल
की एक बैठक शुक्रवार दिनांक 11
अगस्त 2023 को दोपहर 1.30 बजे
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में
आयोजित की जायेगी जिसमें 30 जून
2023 अनर्कक्षित वित्तीय परिणामों पर
विचार तथा अनुमोदन किये जायेंगे।
उक्त नोटिस कंपनी के वेबसाइट
www.kilpest.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान- भोपाल,

दिनांक-02.08.2023

किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड

हस्ता./-

निखिल कुबेर दुवे

संचालक

Swadesh
Bhopal
at 03/08/23

